



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082026-275718
CG-DL-E-24082026-275718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4486]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4486]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4669(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 किमी से 6.91 किमी के NH17 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य में तीस्ता नदी (सेवोके में) पर एक और बड़े पुल और उसके अप्रोच (पहुंच मार्ग) के निर्माण के लिए नेशनल हाईवे NH 17 पर ज़मीन का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-अर्जन)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH17 के कि.मी 0 से कि.मी 6.91 तक	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	मॉल	1 पश्चिम टोटगाँव (जे.एल. नं. 1) 2 एलेनबाड़ी चा बागान (जे. एल. नं-4)

[फा. सं. 1089]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4669(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 6.91 of the NH17 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of WEST BENGAL

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 17 for Construction of additional major bridge and approaches across river Teesta (at Sevoke) in the State of WEST BENGAL.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Additional District Magistrate (LA)	NH17 KM 0 TO KM 6.91	WEST BENGAL	Jalpaiguri	Mal	1 Paschim Totgaon (J.L. No. 1) 2 Elenbari Tea Garden (J.L. No.- 4)

[F. No. 1089]

SHAIKH AMINKHAN, Director